राजस्थान सरकार

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-1) विभाग

क्रमांक: प.1(5)प्र.सु.एवं सम/ग्रुप-1/99 जयपुर, दिनांक 2 जुलाई, 1999

समस्त संभागीय आयुक्त ।
समस्त जिला कलेक्टर ।

आज्ञा

विभिन्न विभागों में पदस्थापित कार्मिकों के मुख्यालय से अनुपस्थित रहने की शिकायतें मिलती रहती है । इस सम्बन्ध में पटवारियों, ग्राम सेवकों, अध्यापकों, ए.एन.एम./एम.पी.डब्ल्यू तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मुख्यालय से अनुपस्थिति पर कार्यवाही के लिए ग्राम पंचायत के सरपंच की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है । अगर ये कर्मचारी अपने मुख्यालय से अनुपस्थित पाये जाते है तो यह समिति कर्मचारी के अनुपस्थित काल की रिपोर्ट उनके सुपरवाइजरी अधिकारी को तथा संभागीय आयुक्त को भी करेगी ।

माननीय मंत्री महोदय/संभागीय आयुक्त या जिला कलेक्टर द्वारा उनके जिलों में भ्रमण के दौरान जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े हुए विभागों यथा:- राजस्व (पटवारी व आई.एल.आर.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (चिकित्सा अधिकारी व उनका अधीनस्थ स्टाफ), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (सहायक अभियंता व कनिष्ठ अभियंता व उनका अधीनस्थ स्टाफ) तथा राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (सहायक अभियंता व कनिष्ठ अभियंता व उनका अधीनस्थ स्टाफ) से संबंधित कार्मिकों के विरुद्ध में उनके मुख्यालय पर उपस्थित न रहने की शिकायतें प्राप्त होने पर एवं निरीक्षण के समय अनुपस्थित पाये जाने पर माननीय मंत्री महोदय/जिला कलेक्टर द्वारा संभागीय आयुक्त को सूचित किया जायेगा ।

माननीय मंत्री महोदय एवं जिला कलेक्टर द्वारा अपने भ्रमण काल के दौरान उक्त विभागों के अनुपस्थित अधिकारी/कर्मचारी की अनुपस्थिति की सूचना तथा उपरोक्त समिति द्वारा अनुपस्थिति की रिपोर्ट संबंधित संभागीय आयुक्त को दी जाने पर संभागीय आयुक्त को, उनके द्वारा तथ्यों व परिस्थितियों का आंकलन करते हुए, संबंधित कार्मिक का अपने संभाग के दूसरे जिले में स्थानान्तरण के लिए प्राधिकृत किया जाता है । अन्य जिलों में उसका पदस्थापन सम्बन्धित विभाग के शीर्षस्थ अधिकारी करेंगे और संभागीय आयुक्त को सूचित करेंगे । इस प्रकार के स्थानान्तरण की सूचना सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को संभागीय आयुक्त और जिला अधिकारी द्वारा तत्काल दी जायेगी । संभागीय आयुक्त द्वारा इस प्रकार से किये गये स्थानान्तरण संबंधित विभाग द्वारा निरस्त नहीं किये जा सकेंगे । उक्त स्थानान्तरण आदेशों को मंत्रिमण्डलीय उप समिति के अनुमोदन के पश्चात् ही परिवर्तन करने की कार्यवाही की जा सकेगी ।

ह0.
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, मुख्यमंत्री ।
2. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्री/राज्य मंत्री ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव ।
4. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव ।
5. समस्त विभागाध्यक्ष ।